



## समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बैनीफिट स्कीम) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता (अनुदान) प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र

प्रमाणित फोटो

आवेदक का नाम .....

पिता/पति का नाम .....

पूरा पता .....

मृतक का नाम .....

मृतक का पूरा पता .....जाति

मृत्यु की तिथि समय का स्थान ..... मृत्यु

का कारण ..... मृतक का

पेशा ..... मृत्यु की दिनांक

को मृतक की उम्र ..... मृतक के परिवार की

वार्षिक/मासिक आमदनी .....आवेदक का मृतक से सम्बन्ध

स्थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि मृतक परिवार की आय का मुख्य साधक था। मृतक के परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी विभाग द्वारा पेन्शन/आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। आवेदन पत्र में किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। आवेदन पत्र में जो सूचना दी गई है वह सत्य है और यदि गलत सिद्ध पायी जाये तो प्राप्त आर्थिक सहायता की धनराशि सरकार को वापस की दुंगी/दुंगा।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी  
की संस्तुति

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

नोट – आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

1. मृतक परिवार के आय का मुख्य साधक था तथा परिवार की कुल वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र मान्य होगा।
2. मृतक की उम्र का प्रमाण-पत्र।
3. मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र असामयिक मृत्यु होने की दशा में दर्ज करायी गयी एफ.आई.आर तथा पोस्टमार्टम दर्ज की कापी। प्रपत्र 01
4. वी. पी. एल. कार्ड एवं प्रमाण-पत्र।